UPLK010069042026

न्यायालय SPL.JUDGE(SC/ST ACT), Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Neetu Pathak), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06198**

Criminal Misc. Cases/805/2026

KUMI CHANDRA Vs. YADAV RAJ URF BRIJNEDA PRATAP SINGH AND OTHERS

कुमी चन्द्र उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र शिव नरायन, निवासी ग्राम सुरगौला थाना रहीमाबाद, जिला लखनऊ।

बनाम

1–यादव राज उर्फ बृजेन्द्र प्रताप सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र बाराती लाल रावत
2–रवीन्द्र द्विवेदी उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्र स्व0 राजाराम द्विवेदी,
3–राजपाल उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र स्व0 दयाल,
4–लवकुश उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र पुत्ती लाल,
5–राज कुमार पाल उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र स्व0 सुक्खा,
6–रिलेश यादव उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र तारा यादव,
समस्त निवासीगण ग्राम सुरगौला, थाना रहीमाबाद, लखनऊ।

17–07–2026

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी।

2– पूर्व तिथि पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

3– मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का परिशीलन किया।

4– आवेदक कुमी चन्द्र द्वारा बी0एन0एस0एस0 की धारा–173 के अन्तर्गत यह आवेदन थाने पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

5– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि ''आवेदक व विपक्षीगण एक ही गांव ग्रम सुरगौला थाना रहीमाबाद, लखनऊ के रहने वाले हैं तथा एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। आवेदक हरिजन जाति चमार जाति का व्यक्ति है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ के द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.03.2026 के आदेशानुसार कब्जा दिलाया गया था। माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा प्रार्थी को कब्जा दिलाने का आदेश उपजिलाधिकारी, तहसीलदार मलिहाबाद को निर्देशित किया गया था। उपरोक्त आदेशानुसार प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था अपनी उपरोक्त आवंटित भूमि पर 4 हजार ईटा 1 ट्राली मौरंग, एक ट्राली ड्रस्ट व 25 बोरी सीमेन्ट इकठ्ठा कर रख लिया था। दिनांक–31.03.2026 की रात लगभग 8:30 बजे उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा 30, 40 व्यक्तियों सहित प्रार्थी के उपरोक्त भूखण्ड पर गये तथा प्रार्थी के उक्त भूखण्ड पर जबरदस्ती तीन मूर्तियो को स्थापित कर दिया तथा प्रार्थी का रखा हुआ उपरोक्त भवन सामग्री का भी प्रयोग कर लिया। प्रार्थी सूचना पाकर घटना स्थल पर तुरन्त पहुंचा तथा विपक्षीगणो से नाजायज कब्जा करने तथा उसका रखा हुआ भवन सामग्री प्रयोग करने का कारण पूँछा तो सभी विपक्षीगण ने प्रार्थी का जाति सूचक माँ, बहन की गाली देते हुये दो चार थप्पड़ व लात घूँसो से मारा पीटा तथा जान से मार डालने व धमकी देते हुये भगा दिया।''

6– आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ के रिट–सी नं0 11420/2025 कुमी चन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश

दिनांकित 10.03.2026 की प्रति के आदेश की छायाप्रति, उपजिलाधिकारी, मलिहाबाद को प्रेषित पत्र की छायाप्रति, दखलनामा की छायाप्रति, स्पाट मेमो की छायाप्रति, थानाध्यक्ष, रहीमाबाद, सहायक पुलिस आयुक्त, मलिहाबाद, जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त, लखनऊ को प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां व डाक रसीद, उपजिलाधिकारी, मलिहाबाद को जनता दर्शन पत्र दिनांकित 02.04.2026, जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांकित 01.04.2026 की प्रतियां दाखिल की गयी हैं।

7— सुन एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।

8— प्रार्थना पत्र में यह अभिकथित है कि आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भूमि गाटा सं0 300 रकबा 0.013हे0 है, का कब्जा प्राप्त कराया गया, जिस पर आवेदक द्वारा भवन निर्माण सामग्री इकट्ठा की गयी। उक्त भूमि पर विपक्षीगण द्वारा मूर्तियां रखकर आवेदक द्वारा इकट्ठा करायी गयी भवन निर्माण सामग्री को प्रयोग करते हुए तीनों मूर्तियों को स्थापित कर दिया। आवेदक द्वारा विरोध करने पर उसे जातिसूचक गालियां देते हुए मारापीटा व जान से मारने की धमकी दिया।

9— थाना हाजा से दिनांक 13.06.2026 की आख्या के अनुसार ''आवेदक कुमी चन्द्र उपरोक्त का आवासीय भूमि आवंटन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 11420/2023में पारित आदेश दिनांकित 10.03.2026 के अनुपालन में ग्राम सुरगौला स्थित गाटा संख्या 300 रकबा 0.013हे0 कब्जा दिलाये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, मलिहाबाद द्वारा राजस्व टीम गठित कर दिनांक 28.03.2026 को पैमाईश हेतु ग्राम सुरगौला भेजा गया था। राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाईश कर याची कुमी चन्द्र को आवंटित की गयी थी तथा मेमो तैयार कर आवश्यक हस्ताक्षर कराये थे। दिनांक 31.03.2026 को उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षीगण एवं गांव के अन्य लोगों द्वारा कब्जा करने की नियत से आवंटित भूमि पर देवी देवताओं की मूर्ति रखकर कब्जा करने लगे थे। सूचना पर पुलिस पहुंची, जहां ज्ञात हुआ था कि मंदिर पर भण्डारा का आयोजन था एवं मौजूद लोगों को समझाया गया था। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों को अंतर्गत धारा 125/135 की कार्यवाही की जा चुकी है। मौके पर आवंटित भूमि पर देवी देवताओं की मूतियां यथास्थिति रखी हुई हैं। राजस्व टीम द्वारा उपरोक्त गाटा संख्या से पृथकस्थान पर दिनांक 07.04.2026 को भूमि पुनः आवंटित आवेदक को की गयी थी।''

10— उपरोक्त आख्या के प्रकाश में पुनः यह रिपोर्ट संबंधित थाने से आहूत की गयी कि आवेदक को कितनी भूमि आवंटित की गयी है एवं क्या उसके द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया है, जिस पर थाना हाजा द्वारा दिनांक 09.07.2026 को यह आख्या दी गयी है कि *''आवेदक कुमीचन्द्र उपरोक्त का आवासीय भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं०11420/2026 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2026 के अनुपालन में ग्राम सुरगौला स्थित गाटा सं० 300 रकबा 0.013 हे० में कब्जा दिलाये जाने हेतु श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय मलिहाबाद, जनपद–लखनऊ द्वारा राजस्व टीम गठित कर दिनांक 28.03.2026 को पैमाइश हेतु ग्राम सुरगौला भेजा गया था। राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाइश कर पुलिस की मौजूदगी में 01 बिसवा जमीन याची कुमीचन्द्र को आवन्टित की गयी थी तथा मौके पर स्पाट मेमो तैयार कर आवश्यक हस्ताक्षर कराये गये थे। दिनांक 31.03.2026 को उक्त आवन्टित भूमि पर विपक्षीगण यादव राज उर्फ बृजेन्द्र प्रताप सिंह आदि एवं गांव के अन्य लोगो द्वारा उसी भूमि पर बगल में स्थित मन्दिर पर भण्डारा का आयोजन कर याची की राजस्व टीम द्वारा आवन्टित भूमि पर कब्जा करने की नियत से देवी, देवताओं की मूर्ती रखकर कब्जा करने लगे थे। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पुलिस पहुची जहां ज्ञात हुआ विपक्षीगण एवं भण्डारे मे मौजूद लोगो द्वारा उक्त भूमि को कब्जा कर रहे थे। जहां पुलिस द्वारा मौजूद लोगो को समझाया गया एवं बताया गया कि उक्त भूमि को राजस्व टीम द्वारा पैमाइश कर याची कुमीचन्द्र को दिया गया है। इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। मौके पर दोनो*

पक्षो में तनाव की स्थिति व्याप्त थी। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनो पक्षों के विरूद्ध अंतर्गत धारा 126,135 बी०एन०एस०एस० की कार्यवाही कर पाबन्द किया गया था। उक्त विवाद के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को अवगत कराया गया जहां पुनः राजस्व टीम द्वारा गाटा सं०300 रकबा 0.013 में ही पृथक स्थान ग्राम सुरगौला स्थित दिनांक 07.04.2026 को याची/आवेदक कुमीचन्द्र उपरोक्त को 01 बिसवा जमीन आवन्टित कर दिया गया एवं स्पाट मेमो तैयार किया गया किन्तु आवेदक कुमीचन्द्र का अभी तक आवन्टित भूमि पर कब्जा नहीं है। उक्त भूमि खाली पड़ी है व पूर्व में आवन्टित भूमि/विवादित भूमि पर वर्तमान में देवी–देवताओं की मूर्तियां यथास्थिति रखी हुयी हैं।''

11– उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिलक्षित हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 28.03.2026 को आवेदक को प्राप्त होने के पश्चात विपक्षीगण द्वारा दिनांक 31.03.2026 को उक्त भूमि पर देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर कब्जा कर लिया गया तथा आवेदक द्वारा भवन निर्माण हेतु जो सामग्री एकत्रित की गयी थी, उसका भी प्रयोग कर लिया गया तथा आवेदक को मारा पीटा व जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। थाने की आख्या के अनुसार आवेदक को उक्त भूमि के एवज में दूसरी भूमि आवंटित कर दी गयी है, किन्तु आवेदक को अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र में किये गये कथन एवं संबंधित थाने की आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि नियम 5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का अनुपालन करने हुए, प्रार्थनापत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें और प्राथमिकी की प्रति 24 घन्टे के भीतर न्यायालय में प्रेषित करें।

आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त, उत्तरी, लखनऊ को इस प्रकरण में कार्यवाही के बावत प्रेषित किया जाए।

(नीतू पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6198

दिनांकः 17–07–2026

Digitally signed by Neetu pathak
Date: 2026.07.21 17:55:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court